


कार्यालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

क्रमांक:-आपदा / 2023 / 896

दिनांक:- 14/7/23

:-आदेश:-

घग्घर नदी में पानी की अत्यधिक आवक के दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टि से जिले के ब्लॉक टिब्बी, हनुमानगढ़ एवं पीलीबंगा समस्त राजकीय/गैर-राजकीय विद्यालयों को आगामी आदेश तक बंद किया जाता है। इन सभी विद्यालयों के समस्त स्टॉफ संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय अनुसार अपनी संस्था में उपस्थिति सुनिश्चित करें। बाढ़ की स्थिति में अपने कार्य स्थल तक न पहुँच सकने की स्थिति में उक्त संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी अपने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में कार्य करेंगे।


जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़